

जारी कर दि 20/11/18 को पेश किया

20/11/18

पत्रावली पेश। वकील वादी एवं पक्षकार उपर
है। पुलिस द्वारा इकबालिया अवाव पेश किया
शाह फाट हो। पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति
का राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् की पह-
चान उनके अधिष्ठान द्वारा की गयी। राजीनामा
पक्षकारों को लफ्ज दर लफ्ज पढ़कर
सुनाया गया। पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति
सहमति के राजीनामों को स्वीकार किया गया। तथा
राजीनामा अनुसार वादपत्र को डिफ्री
काम का निवेदन किया गया। पक्षकारों
का कथन है, कि वादपत्र में वर्णित दूध
में वादी का हिस्सा 1/2 है, तथा पुलिस

पक्षकारान्
अकालात

बान्ठुशम
तथा

करी

करी

1. 1/3 का हिस्सा 1/2 लम्बा में ही भूमि
 प्रति 1/3 का हिस्सा 1/2 में प्रत्येक का
 1/3 ही तदनुसार ही बाद की लंबाई
 किया जान पर पक्षकारान् को अनापत्ति है
 अर्थात् बादपत्र की मद नम्बर 1 किला 14
 कवा 9-26 हेक्टर में वारी को हि 1/2 व प्रति 1/3
 3 का हि 1/2, बादपत्र की मद नम्बर 2 की किला
 6 कवा 7-81 में वारी हि 1/2 व प्रति 1/3
 हि 1/2 इसी प्रकार बादपत्र की मद नम्बर 3
 की मद नम्बर 3 किला 5 कवा 9-89 में वारी
 हि 1/2 व प्रतिवारी नं. 1/3 हि 1/2 के अनुसार
 विभाजन होना है।

पक्षकारान् का मत है, कि बादपत्र की
 मद नम्बर 1/3 की भूमियाँ वारी व प्रति
 1/3 की पैलक वेंपत्ति हैं, जिसे शामिली
 सुमार कर्त हुमें वारी का हिस्सा 1/2 व
 प्रतिवारी 1/3 गायल 3 का हिस्सा 1/2 के
 अनुसार चौखटा उपालन विभाजन की
 डिही छदान की जावे।

राजीनाम पर पक्षकारान् का हुना आकर
 राजीनाम पर हुना हस्ताक्षर करवाने गये।
 राजीनामा तस्दीक किया आकर शामिल
 पत्रावली किया गया।

पत्रावली का आधीपान् अवलोकन
 एवं मनन किया गया। हम्ब नकल
 जमाबंदी शाम मुठिया सं० 2074-77 वाता।

